

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is :

"That the Bill to amend the Pre-Natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Act, 1994, be taken into consideration."

*The motion was adopted.*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill.

*Clause 2 was added to the Bill.*

*Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

DR. C.P. THAKUR: Madam, I beg to move :

"That the Bill be passed."

*The question was put and the motion was adopted.*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very much. We did a good work today. Today, we passed seven Bills. Yes; Shri Advaniji;

---

## REPLY TO THE CLARIFICATIONS ON THE STATEMENT BY MINISTER

### Recent Incident of Killings in village Sirsawan district Moradabad, U.P.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): Madam Deputy Chairman, there are two issues listed against my name. One is the reply to the various clarifications sought by Members with respect to the Moradabad incident. And the second is the dastardly assassination of Shrimati Phoolan Devi, a Member of Parliament, last month. If I am permitted by the House, Madam, I would like to deal with only the clarifications on the Moradabad incident today. I would be grateful if the issue of the murder of Shrimati Phoolan Devi is taken up tomorrow or the day-after-tomorrow, because, on the issue related to the murder of Smt. Phoolan Devi, there will be a number of Members who would like to participate and seek clarifications. In this case, it is the reply; whereas, in the other case, it would take some time. If you permit me, that could be taken up on some other day.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Okay; we can take up the clarifications on the statement regarding the killing of Shrimati Phoolan Devi on some other day.

उपसभापति : कल कर देंगे, आपकी सुविधानुसार कर देंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं आभारी हूंगा।

महोदया, मैं आभारी हूँ उन सदस्यों का जिन्होंने मुरादाबाद के इस भयंकर कांड के बारे में टिप्पणी भी की और सवाल भी पूछे। लेकिन एक तो मैं यह कहना चाहूंगा कि मैंने जब पहली बार इस घटना के बारे में सुना कि किस प्रकार से रात्रि के समय आकर स्त्री, पुरुष और बच्चों को 'बर्बरतापूर्वक' मारा गया, तो मेरे मन में भी यह आशंका पैदा हुई कि यह एक साम्प्रदायिक कांड है और उसके आधार पर ही मैंने प्रदेश की सरकार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। प्रदेश की सरकार ने कहा कि यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कांड है, भयंकर कांड है लेकिन यह साम्प्रदायिक नहीं लगता और साम्प्रदायिक न लगने का कारण देते हुए उन्होंने दो अन्य घटनाओं का जिक्र किया, जो घटनायें मेरठ और लखीमपुरी खीरी में हुई थीं और इसीलिए मैंने आपके सामने इन तीन कांडों का उल्लेख किया। यह जो मैंने उल्लेख किया यह केवल डाइवर्सन के उद्देश्य से नहीं किया। किसी ने कहा भी कि इसका उल्लेख करके मुख्य कांड से ध्यान हटा रहे हैं। मैंने कहा, नहीं, मैं ध्यान नहीं हटा रहा हूँ, लेकिन मैं इस बात में प्राइमा-फेसी कुछ सच्चाई देखता हूँ। यह मामला साम्प्रदायिकता से प्रेरित नहीं है। क्योंकि इस प्रकार के जो दो कांड हैं, उनकी मोडस ऑपरेंडी से मन में जरूर विचार आता है कि हो सकता है कि यह इसी प्रकार का कांड हो और वैसे ही लोग इसको करने वाले हों। इस बारे में प्रदेश की सरकार ने यह जो एक्सप्लेनेशन दिया कि कुछ ऐसी जातियां हैं, जिन्हें अंग्रेजों के शासन के समय में क्रिमिनल ट्राइब्स कहा जाता था जोकि इस प्रकार की प्रवृत्तियों में रत रहते थे। इसीलिए क्रिमिनल ट्राइब्स की बात कही गई। कई सदस्यों ने इस पर आशंका प्रकट की कि क्रिमिनल ट्राइब्स कैसे कहा जा सकता है। उसके बाद मैं इस बारे में अध्ययन करता रहा और अभी अभी मैंने 91 में प्रकाशित एक पुस्तक देखी "ट्राइबल इंडियन टुडे" बाई नदीम हुसैन। मैं इसका एक पैराग्राफ पढ़कर सुनाना चाहता हूँ।

"The tribes in India, known as criminal tribes, regarded crime as their hereditary calling and had developed an elaborate code of discipline and formalities for this. They adopted crime as their trait and engaged in anti-social activities."

Then I quote D.A. Majumdar, who had written a book in 1949 :

"Criminal activities are largely emphasised by the cultural pattern of the tribes concerned. Certain criminal tribes have got their sanction for criminal activities in their religious beliefs and practices. The sanction is often derived from their tribal gods, who are believed to revel in crime."

आगे भी लिखा है, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं लेकिन उन सारी डिटेल्स में मैं नहीं जाता हूँ। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो हमने उस पुराने ऐक्ट को रिपील किया, क्रिमिनल ट्राइब्स ऐक्ट को रिपील किया गया। शीलू नाम के एक प्रसिद्ध ट्राइबल नेता ने वह रिपोर्ट 69 में दी थी और उन्होंने कहा कि अब इसको खत्म करना चाहिए।

"Criminal Act of 1924 was repealed and changed to denotified tribes and later to denotified communities."

जब कल इस बात का जिक्र किया गया तो ध्यान हटाने के लिए नहीं किया गया। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि सरकार की ओर से, समाज की ओर से कोशिश की गई किसी को इस प्रकार से क्रिमिनल ट्राइब्स करके अलग-थलग करके एक बुरा नाम न दिया जाए। डिनोटिफाईड कहने के बाद भी कुछ दुर्भाग्यजनक प्रवृत्तियाँ अभी भी शेष हैं, उन प्रवृत्तियों को ठीक करने की जरूरत है। मैं इस विषय में अलग सोचूंगा, यद्यपि यह गृह मंत्रालय का कार्य नहीं है लेकिन मैं समाज कल्याण विभाग से चर्चा करके इस पर विचार करने की कोशिश करूंगा। ... (व्यवधान)...

श्री जनेश्वर मिश्र (उत्तर प्रदेश): एक मिनट मैं टोकना चाहता हूँ। ... (व्यवधान)...

उपसभापति : उनको जवाब देने दीजिये। ... (व्यवधान)...

श्री जनेश्वर मिश्र : क्योंकि इन्होंने उस वक्त का इतिहास पढ़ाने की कोशिश की है। मैं नाराज़ नहीं हूँ। इतिहास पढ़ाने की कोशिश की है। 52-53 साल हो रहे हैं आजाद हुए, इसका भी अपना एक इतिहास है, संघर्ष का इतिहास है। हम जानते हैं पहले बहुत-सी जातियाँ थीं, क्राइम करती थीं, यह भी हम जानते हैं एक जाति थी जो केवल भीख मांगती थी लेकिन किसी भी कम्युनिटी को क्रिमिनल कम्युनिटी कहा जाए या किसी कम्युनिटी को भिखमंगी कम्युनिटी कहा जाए, यह बहुत बुरी बात है, अच्छा नहीं है। ... (व्यवधान)...

उपसभापति : वह अपनी तरफ से शायद नहीं कह रहे हैं। जो कागज़ में लिखा है, वह पढ़ रहे हैं। पहले पूरा हो जाने दीजिये फिर बोलिये। ... (व्यवधान) ... सुनिये।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैंने इसीलिए कहा कि यह क्रिमिनल ट्राइब्स ऐक्ट 1924 का है ... (व्यवधान)...

श्री रमा शंकर कौशिक (उत्तर प्रदेश) : माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, उसी में से यह शब्द लाया गया है। ... (व्यवधान)...

उपसभापति : उसी का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। पूरा तो होने दीजिये। आप बीच में से पूछेंगे तो कंपलीट बात नहीं होगी। हो सकता है कि आपका सवाल भी अधूरा रह जाए और जवाब भी अधूरा रह जाए। उनको बोलने दीजिये। ... (व्यवधान)...

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : कल इसकी चर्चा हुई थी। कल का मतलब है जब मैंने वक्तव्य दिया था और इन्होंने स्पष्टीकरण मांगे थे। तब अनेक लोगों ने इस पर टिप्पणी की थी। उसके परिणामस्वरूप ही मैंने जा करके ट्राइबल्स का अध्ययन किया और उसमें पाया कि 1924 का एक ऐक्ट है जिसके अधीन इनको क्रिमिनल ट्राइब्स कहा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उस ऐक्ट को समाप्त कर के इसको डिनोटिफाई किया गया और डिनोटिफाईड ट्राइब्स या आगे चल

कर के डिनोटिफाइड कम्युनिटीज़ कहा गया। मैं तो इसके तथ्य बता रहा हूँ। मैं तो यह भी कह रहा हूँ कि केवल मात्र क्रिमिनल ट्राइब्स का शब्द हटाना ही पर्याप्त नहीं है। उनको अलग-थलग बनाए रखना डिनोटिफाइड ट्राइब्स या डिनोटिफाइड कम्युनिटीज़ के नाते यह भी पर्याप्त नहीं है। इससे ज्यादा एसीमिलेशन सोसाइटी में चाहिये। इस दृष्टि से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से मैं चर्चा कर के सोचूंगा कि क्या हो सकता है, क्या संभव है। इतनी बात मैंने कही है। बाकी जहाँ तक तथ्यों की बात है, मैं इतना कहूंगा कि जो चार पांच बातें कही गई हैं, अनेक सदस्यों ने अलग अलग रूप से कही हैं, उनमें पहली बात तो यह कही गई कि यहाँ पर लूट तो हुई नहीं फिर भी लूट क्यों कहा कि लूट हुई। यह बात कही गई। वैसे सही है कि ऐसे मकान में जहाँ पर रहने वाले परिवार इतने दरिद्र, इतने गरीब हैं, वहाँ पर लूट शब्द का प्रयोग करना भी बड़ा विचित्र है। लेकिन यह बात सही है कि जब लोग वहाँ पर गये, पुलिस गई तो देखा वहाँ पर बक्से-बक्से सब खुले हुए थे ... (व्यवधान)...

श्री संघ प्रिय गीतम (उत्तरांचल): बोलने दीजिये। ... (व्यवधान)...

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : बात पूरी होने दीजिये। ... (व्यवधान)...

उपसभापति : पहले पूरी बात होने दीजिये, फिर पूछ लेना। ... (व्यवधान)...

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : दूसरी बात यह है कि वहाँ के मालिक ने जो एफ.आई.आर. दर्ज कराई जिसकी कॉपी है उसमें बुरा नाम का व्यक्ति जिसके पिता जी का नाम अली मोहम्मद है जो एफ.आई.आर. पुलिस में दर्ज किया उसमें भी लूट लिखा है और वह सेक्शन इसलिए दायर है ... (व्यवधान) ... पुलिस नहीं लिखवाती। ... (व्यवधान)...

श्री रमा शंकर कौशिक : उसका अंगूठा लगा हुआ है। ... (व्यवधान)...

श्री संघ प्रिय गीतम : इस तरह से मैडम इसका अंत नहीं होगा। ... (व्यवधान) ... बहुत दिस्तार से चला रहे हैं सारी चीज़ें ... (व्यवधान) ... बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। ... (व्यवधान)...

श्री खान गुफ़रान जाहिदी (उत्तर प्रदेश): माननीय मंत्री जी, एक हकीकत है कि यहाँ से 14 एम.पी. जाएं और बात को देखें। वह रिपोर्ट बुरा नाम के शख्स के द्वारा लिखवाई गई और उसका अंगूठा लगा, उसने तो पढ़ा भी नहीं है कि क्या लिखा गया है। ... (व्यवधान)...

श्री संघ प्रिय गीतम : बाद में कह लेना पहले खत्म हो जाने दीजिये। ... (व्यवधान)...

श्री खान गुफ़रान जाहिदी : माफ कीजियेगा, मैंने तो यह कहा है कि सच्चाई क्या है, यह बता दीजिये। ... (व्यवधान)...

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैंने जो स्वयं देखा है कि ऐसे गरीब परिवार में लूट क्या होगी लेकिन प्रदेश की सरकार आन दों बेसेज़ आफ रिकार्ड कहती है, मैं उसका जिक्र न करूँ यह तो उपयुक्त नहीं होगा। फिर उसके बाद दूसरी बात कही गयी कि जिस समय इन लोगों पर हमला हुआ, जिनको मारा गया, इनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। कपड़े हटा दिए गए थे। लेकिन पंचनामा है, सारी बातें हैं। पहली रिपोर्ट जो है उसमें कोई ऐसी शिकायत नहीं। जो लोग इन्जर्ड थे, जो घायल थे, उन्होंने भी यह शिकायत नहीं की कि इस प्रकार से हुआ। इतना ही नहीं एक तो प्रायः जितनी ये बातें कही गयी हैं टोपी के बारे में, पुलिस कैप के बारे में, बेल्ट के बारे में

में, लाठी चार्ज के बारे में - ये 4-5-6 बातें कही गयीं - तुरंत बाद एक डेलीगेशन वहां पर समाजवादी पार्टी का मया था, उन्होंने जो ज्ञापन दिया उसमें ये शिकायतें नहीं थीं। तुरंत बाद जो गए थे उनकी शिकायत नहीं थी। ये बाद में शिकायतें पैदा होने लगीं। इसलिए सबको नोट करने के बाद भी अब तक की जितनी जानकारी है, अब तक का जितना इन्वेस्टीगेशन है उसमें केवल एक बात के बारे में अभी तक थोड़ा स्पष्टीकरण होना बाकी है कि किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया या बलात्कार किया गया। इसके बारे में जहां तक अभी तक की मेडिकल रिपोर्ट है, जिस महिला ने वह बात कही थी उस मेडिकल रिपोर्ट से यह प्रमाणित नहीं होता है। लेकिन फिर भी वे जो लक्षण हैं उनको फॉरेंसिक लेबोरेट्री के लिए भेजा गया है और उसकी रिपोर्ट आने के बाद उसके बारे में निश्चित रूप से कुछ कहा जा सकेगा। अभी तक की इन्वेस्टीगेशन के अनुसार ये तीन-चार चीजें जो हैं, जैसा कहा गया कि उन सबको बेहोश किया गया और उनको कुछ न कुछ सुंघाया गया, कोई ऐसी रुई या कोई ऐसी बात न पोस्ट मार्टम में, न लोगों की शिकायत में है - इमीडिएटली जो शिकायत थी उसमें ऐसी कोई बात पुलिस के या सरकार के ध्यान में नहीं आई जिसके आधार पर आज कम से कम यह बात नहीं कही जा सकती। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैंने इस सरकार को कहा है कि इसमें अगर कोई सबसे बड़ी कमजोरी है हमारी तो वह कमजोरी शासन की यह है कि हम किसी भी एक अपराधी को खोजकर पकड़ नहीं पाए। यह हमारी सबसे बड़ी कमी है और इसी लिए मैंने अपने पहले पहले सेन्टेंस में भी कहा था जब वक्तव्य दिया था जो कि साधारणतः किसी प्रदेश सरकार के बारे में केंद्रीय सरकार नहीं कहती, मैंने कहा कि मैं इस घटना के बारे में, खासकर जो मुरादाबाद में हुई है उसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार मानीटर करती रहेगी कि किस प्रकार की प्रगति इसमें होती है इन्वेस्टीगेशन में और लोगों को खोजकर अपराधियों को पकड़ने के मामले में। मुझे लगता है कि इसमें एक ही बात के बारे में मैंने कहा कि हम और जांच कर रहे हैं कि किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया कि नहीं किया गया। बाकी जितनी बातें कही गयीं हैं उनमें अभी तक कोई सच्चाई नहीं दिखाई दी।

**श्री खान गुफ़रान जाहिदी :** वाईस चेयरमैन साहिबा, मैं माननीय मंत्री जी के इस बयान पर कोई जवाबी बयान या उस तरह की बात नहीं कहना चाहता, लेकिन इतनी बात जरूर कहना चाहता हूँ कि जो कान्फ़ीडेंस लास माइनारिटी कम्युनिटी का हुआ है उसकी बहाली भी बहुत जरूरी है। ये जो दो वाक्यात आपने जोड़कर बताए हैं इतिफ़ाक से इसलिए क्रिमिनल ट्राइब या किसी ट्राइब की बात नहीं होती है कि यहां पर कोई लूट नहीं हुई। अगर पुलिस की रिपोर्ट भी आप खाली बता रहे हैं तब तो ठीक है। पुलिस जो चाहेगी करेगी। जो यहां से लोग गए, सदस्य साहब, जो वहां से बयान हुआ, जो बात हुई, जो प्रेस के बड़े बड़े जिम्मेदार लोगों के बयान छपे, वहां की कम्युनिटी के लोगों के बयान छपे उनको एकदम से नकार देना - यह तो काम है। लेकिन जो दो दूसरे वाक्यात हुए हैं, उनमें लूट हुई है। फिर ये तीनों केसेज एक जैसे नहीं मिलते। पहले में लूट नहीं हुई। बाकी दोनों में लूट हुई। तो इन तीनों केसेज को एक पैरेलल पर लाना, यह मेरा ख्याल है कि माननीय मंत्री जी की तरफ से बात ज्यादा मालूम होती है कि इसमें सच्चाई नहीं है। दूसरा जो रुई की बात कही गयी या अनड्रेस्ड थे, यह तो वहां हास्पिटल के लोगों को ही मालूम है और उन लोगों के बयान हैं। डाक्टर हैं। डाक्टर एच के सिंह हैं, डाक्टर मुनव्वर हैं। डाक्टर एस पी सिंह के अस्पताल में गए थे। टाइम हास्पिटल में वहां के लोगों ने बताया। ये सारे लोगों ने बताया। अगर पुलिस की रिपोर्ट से हट कर माननीय मंत्री जी अपनी

जनरल किसी तरह की एजेंसी से रिपोर्ट मंगा लें तो पायेंगे कि जो तथ्य कहे गए हैं उनमें सरासर सच्चाई है और उसके अलावा कुछ नहीं।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी :** महोदया, पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैंने तीन घटनाओं का जिक्र इसलिए किया क्योंकि ये जुलाई के महीने की घटनाएं थीं अन्यथा क्रिमिनल ट्राइब्यूल द्वारा सन् 2000 में उत्तर प्रदेश में 37 भयंकर कांड हुए। सन् 2001 में 30 जून तक 8 कांड, आठ कुकर्म इसी प्रकार के हुए जिनका मैंने जिक्र नहीं किया। मैंने केवल तीन का इसलिए जिक्र किया कि वे जुलाई के महीने में थे। जब यह मुरादाबाद का कांड हुआ और इस जुलाई के महीने में मैंने जहां लखीमपुर खीरी में कहा था कि वहां पर तीन लोग मारे गए, दो जो छोटी लड़कियां थीं जिनको घायल किया गया था उनकी भी मृत्यु हो गई लखीमपुर खीरी में। इसीलिए यह क्रिमिनल ट्राइब्यूल का एक्ट है। यह तो एक प्रकार से उसकी पुष्टि होती है। दूसरी बात जो कही गई, उसमें भी मैंने कहा कि आप लोग कब गए मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से जो ज्ञापन दिया गया उसमें भी इन बातों का कहीं कोई जिक्र नहीं था सिवाय इसके कि एक बलात्कार हुआ, उसका जिक्र जरूर था और वह तुरंत गए थे। ... (व्यवधान)...

**श्री रमा शंकर कौशिक :** जिक्र लूट का भी नहीं था। ... (व्यवधान)...

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी :** हां, लूट का नहीं था, क्योंकि लूट की मैंने जो बात कही वह एफ.आई.आर. के आधार पर कही। वास्तव में मुझे नहीं लगता कि वहां लूट हुई ... (व्यवधान)...

**एक माननीय सदस्य :** मंत्री जी एफ.आई.आर. के बारे में सब कह रहे हैं जो पुलिस ने रिपोर्ट दी है ... (व्यवधान)...

**श्री रमा शंकर कौशिक :** नहीं ... (व्यवधान)... वह जो दो घटनाएं और बताई हैं वे तो बताई ही इस कारण हैं कि वहां लूट भी हुई है, वहां लोग मारे भी गए हैं, लेकिन मुरादाबाद में वहां पर कोई लूट नहीं हुई। कृपा करके इसकी जांच आप स्वयं करायें। ... (व्यवधान)...

**श्री खान गुफरान जाहिदी :** मान्यवर, उस वाक्या के बाद भी माननीय मंत्री जी ने अपने बयान में यह नहीं कहा कि उनको कोई कंपेंसेशन या उनके लिए कोई इलाज या किसी अन्य तरह का कोई ऐसा इंतजाम करेंगे जिससे कि वह बिखरा हुआ खानदान कुछ बेहतर हालत में आ जाए, और जो छोटे-छोटे बच्चे हैं वे किसी तरह संभल जाएं। ऐसा कोई बयान माननीय मंत्री जी की तरफ से नहीं आया जिससे कि वहां जो कंपीडेंस लूज हुआ है वह वापस आए और यह मालूम हो कि यह सरकार वेलफेयर स्टेट में है और यह कुछ काम कर रही है। अगर किसी के साथ जबर हुआ है तो उसका भी कोई भला होगा, ऐसी कोई बात नहीं आई है?

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी :** मैं प्रदेश की सरकार से इस विषय में भी चर्चा करूंगा। एक बात हमको यह भी माननी चाहिए कि सामान्यतः अगर लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित कोई घटना किसी प्रदेश में होती है तो उस प्रदेश की जो भी सूचना आती है, साधारणतः वह मैं देता हूँ। मेरी इंटेलीजेंस ब्यूरो ने मुझे यह बताया है यह मैं कभी नहीं कहूंगा, किसी सूरत में नहीं कहूंगा। इस केस में क्योंकि वह प्रदेश की सरकार ऐसी है जिनके बारे में मैं भी चार बातें मुख्यमंत्री को कह सकता हूँ, इसीलिए आपने जो बात अभी सुझाई है मैं उनसे बात करूंगा।

**श्री दीपांकर मुखर्जी (पश्चिमी बंगाल):** फर्नांडिस साहब को नहीं भेजेंगे ... (व्यवधान)...

उपसभापति : अभी फर्नांडिस भेजेंगे कि ... (व्यवधान)...

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में संसद में कोई चर्चा हुई तो उस पर क्या प्रतिक्रिया रही यह मेरा अनुभव है। इसीलिए कृपया अगर हम सब सीमाओं को समझ करके उसके आधार पर निर्णय करें तो अच्छा है। ... (व्यवधान)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Some people died. They were brutally murdered. It is the Home Minister's duty whom he should send or whom he should not send. It is his responsibility. We should only seek information from him, and not suggest something to him. What Mr. Zahidi said is correct, that the children of those who died, need some protection, some confidence-building, and they need some compensation. He promised that, that he would speak to the State Governments. ... (Interruptions)... That he would do; that he has promised in the House. Whom he will send for interrogation is entirely the prerogative of the Government. ... (Interruptions)...

श्री संघ प्रिय गौतम : उससे हम भी सहमत हैं। ... (व्यवधान)...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Madam, I also have some experience. That is why I said so. ... (Interruptions)... He specifically says that he can't get information on his own. He has to depend on the State Governments. ... (Interruptions)... We had that experience from the questions raised in Rajya Sabha. I just wanted to remind him that he should remember this in other cases also.

उपसभापति : अब यह डिस्कसन खत्म करिए।

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा (बिहार) : मैडम, मैं आपके ध्यान में एक बिंदु लाना चाहता हूँ।

उपसभापति : आप यू.पी. से हैं?

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा : मैडम, मेरा एक बिंदु है। ... (व्यवधान)...

उपसभापति : आप वहां गए थे जहां यह काण्ड हुआ है?

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा : जी नहीं। मैं यह पढ़कर बोल रहा हूँ।

उपसभापति : कहां से पढ़ रहे हैं?

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा : स्टेटमेंट से पढ़ रहा हूँ। इसमें एक पंक्ति है ... (व्यवधान)...

उपसभापति : मेरी बात सुनिए। ... (व्यवधान) ... आप बीच में मत बोलिए। प्लीज बैठ जाइए। आप भी मत बोलिए। सवाल यह है कि, when I say, "Please keep quite", it includes you also. Don't interrupt. What I am saying is, इस से पहले जब मैं यहां चैयर पर नहीं थी तो मुझे सेक्रेटेरिएट से यह इत्तला मिली कि इस पर क्लैरिफिकेशंस हो चुके

हैं और आज जवाब हुआ। तो यह जो स्टेटमेंट है, आप ने उस पर उस समय क्लैरीफिकेशंस जरूर पूछे होंगे और उन्होंने भी जो जवाब देना था, वह दे दिया। आज भी जो सवाल उठाए गए, उन का भी उन्होंने कुछ जवाब दिया है, कुछ सजेशंस माने हैं। अब इस से ऊपर आप के क्या सजेशंस हो सकते हैं कि उन लोगों का इनवेस्टीगेशन करें, उन को कम्पेनसेशन दें और जिन तीन कांडों का एक साथ जिक्र हुआ है, उस को अलग-अलग डिस्कस करें। जहां लूटमार हुई है वहां लूटमार हुई है, उस का कारण क्या था, यह मालूमात करने के लिए उन्होंने आज यहां कहा है। अब आप वहां गए नहीं हैं, तो कैसे बताएंगे। वह तो जाकर आए हैं, समाजवादी पार्टी के लोग वहां होकर आए हैं। उन्होंने तो कुछ कहा नहीं है। ... (व्यवधान)...

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा : मैडम, आपकी इजाजत हो तो इस से भिन्न मेरा पॉइंट है। ... (व्यवधान)...

श्री विजय जे. दडा (महाराष्ट्र) : मैडम ...

उपसभापति : आप वहां गए थे? आप वहां गए थे, आपने स्वयं वह कांड देखा था? आपके पास कोई रिपोर्ट है तो मैं आप को बोलने दूंगी। आप स्वयं गए थे?

श्री विजय जे. दडा : मैडम, मेरे पास रिपोर्ट है, उस के बारे में बोलना चाहता हूं।

उपसभापति : नहीं। आप मुझे बता देना कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं गृह मंत्री जी से स्वयं बात करूंगी। The House stands adjourned till 11 O'clock tomorrow.

The House then adjourned at twenty-eight minutes past five of the clock, till eleven of the clock on Tuesday, the 7<sup>th</sup> August, 2001.